निर्णय न्यायालय श्री जवाहरलाल जैन आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
360 /2021	12.01.2021	20.07.2023

1. लतीफ पुत्र नजीरा जाति गद्दी मुसलमान निवासी महानन्दपुर डयोढ़ा, तहसील वजीरपुर।

— वादिया

बनाम

1. लेण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार वजीरपुर।
2. वहीद पुत्र नजीरा जाति गद्दी मुसलमान निवासी
3. रसीद पुत्र नजीरा महानन्दपुर डयोढ़ा तहसील वजीरपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण की और से

निर्णय

वादी ने दावा इस आश्य का पेश किया है कि भूमि खसरा नम्बर 10 रकवा 1.60 है0, 11 रकवा 1.38 है0, 143 रकवा 1.52 है0 वाके ग्राम महानन्दपुर डयोढा की खातेदारी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम हिस्सा 1/3–1/3 दर्ज रही तथा मौके पर कब्जे अनुसार पक्षकारान भूमि से लाभान्वित होते रहे है। उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विभाजन हो गया जिसमें भूमि खसरा नम्बर 10 रकवा 1.60 है0 में से प्रतिवादी संख्या 02 के नाम खसरा नम्बर 10 रकवा 1.55 है0 एवं खसरा नम्बर 824/10 रकवा 0.05 है0 प्रतिवादी नम्बर 03 रसीद के हिस्से में आई इसी प्रकार खसरा नम्बर 11 रकवा 1.38 है सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 03 के हिस्से में आया तथा खसरा नम्बर 143 रकवा 1.61 है0 में से खसरा नम्बर 143 रकवा 1.52 है0 वादी व खसरा नम्बर 827/143 रकवा 0.09 है0 प्रतिवादी संख्या 03 रसीद के हिस्से में आया इसी अनुसार भूमि के इन्द्राज रेवेन्यू रिकॉर्ड व जमाबंदी नक्शा ट्रेस में कर दिये गये है कुछ समय पूर्व पक्षकारान के मध्य हुए बटवारे अनुसार कायम किये गये खसरा नम्बर 824/10 व 827/143 की नाप के लिये वादी व प्रतिवादी 02 व 03 ने पटवारी हल्का को मौके पर बुलाया तब पटवारी हल्का ने मौके पर खसरा नम्बर 10,11,143, 824/10, 827/143 की मौखिक रूप से नाप की तथा बताया की खसरा नम्बर 10 में 0.05 है0 व खसरा नम्बर 11 में 0.10 है0 जमाबंदी में दर्ज रकवे से पहले ही सेटलमेंट ने ज्यादा लगाकर नक्शा कायम किया है तथा सेंटलमेंट जमाबंदी के खसरानम्बर 143 में दर्ज रकवे 1.61 है0 से 15 एयर भूमि मौके पर नक्शें में कम दर्ज है इसलिए पहले इसे मिलकर सही करवा लो तब जाकर नाप सही आयेगी। वादी ने प्रतिवादी संख्या 02 व 03 से तहसीलदार जी के यहां चल कर इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिये कहां तो वह आना–कानी करने लगे वादी ने जब दिनांक 15.10.2020 को दुरूस्ती बाबत कहां तो प्रतिवादीगण ने दुरूस्ती कराने से इंकार कर दिया यह कि वाद कारण दिनांक 15.10.2020 को इन्द्राज दुरूस्ती कराने से इंकार करने से व भूमि विक्रय करने से उत्पन्न हुआ। यह कि भूमि सेंटलमेंट खसरा नम्बर 10 रकवा 1.60 है0, खसरा नम्बर 11 रकवा 1.38 है0, 143 रकवा 1.61 है0 ग्राम महानन्दपुर डयोढा की रकवा बरारी खतोनी जमाबंदी हाल सेंटलमेंट में दर्ज रकवे अनुसार की जाकर नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावें

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर, जिला-स.मा.

ा खसरा नम्बर 10, 11, 143 का सेटलमेंट द्वारा बनाये नक्शे ट्रेस को सेटलमेंट खतोनी संवत् 2039 में दर्ज रकबे अनुसार कायम किया जावें तथा उसके उपरान्त वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के द्वारा किये गये विभाजन अनुसार नक्शा ट्रेस में नये खसरा नम्बर का इन्द्राज करने की घोषणा की जावें इसी अनुसार नक्शा ट्रेस इन्द्राज दुरूस्त किये जावें।

वादीगण ने अपने दावे के साथ दस्तावेज नकल जमाबंदी खसरा नम्बर 138, नकल जमांबदी खाता संख्या 22 व नकल जमाबंदी खाता संख्या 20 पेश किये है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर जबाव दावा पेश कर कहां कि वादी द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें भूमि की रकवा बरारी कर नक्शे में तरमीम के लिये दावा किया है जिसमें प्रतिवादीगण जबावदारान को कोई आपत्ती नही है भूमि की रकवा बरारी कर दावे का निर्णय पारित कर दिया जावें।

बहस सुनी गई वकील वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावें के आधार पर वादी के वाद अनुसार विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकवे अनुसार अर्थात जो रकवा दोरानें हाल सेटलमेंट पक्षकारान को दिया गया इसी के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम कर संशोधन के आदेश दिये जावें जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ती नही है।

बहस पर मनन किया पत्रावली व उसमें प्रस्तुत दस्तावेज वाद पत्र व जबाव दावें का अवलोकन किया गया वादी का कथन है कि दोरानें सेटलमेंट भूमि खसरा नम्बर 10 व 11 व 143 ग्राम महानन्दपुर डयोढा का नक्शा ट्रेस गलत बनाया गया है। भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3–1/3 हिस्सा है भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकवे अनुसार खसरा नम्बर 10, 11 व 143 के नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जावें तथा इसके पश्चात वादी व प्रतिवादीगण 2 व 3 के विभाजन को रिकॉर्ड अनुसार नक्शा ट्रेस में अंकित किया जावे जिस पर प्रतिवादीगण भी सहमत है इसलिए दावा वादी डिक्री योग्य प्रतित होता है।

आदेश

अतः दावा वादी इस आशय का डिक्री घोषित किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 10 रकवा 1.60 है0, 11 रकवा 1.38 है0, 143 रकवा 1.52 है0 ग्राम महानन्दपुर डयोढा तहसील वजीरपुर के राजस्व रिकॉर्ड दर्ज रकवे अनुसार सेटलमेंट द्वारा कायम नक्शें से रकवा बरारी की जावें तथा नक्शा कम पाये जाने पर उसमें दुरूस्ती की जावें एवं उक्त दुरूस्ती के उपरांत ही वादी व प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विभाजन की नक्शा ट्रेस में तरमीत की जावें इसी अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जाकर सीमाओं का संशोधन किया जावें। पर्चा डिकी पृथक से जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर